चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 30.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 30.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह के पर्यवेक्षण में थाना राजापुर पुलिस टीम ने ट्रैक्टर चोरी के 02 आरोपी अभियुक्तों को चोरी के ट्रैक्टर न0 UP96R5852 स्वराज 735FE नीला रंग मय दो चैन मय रोटा वेटर के साथ गिरफ्तार किया।

अभियुक्तों का नाम पता का विवरण-

1. कल्लू रैदास पुत्र लोटन रैदास निवासी चिल्ली राकस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
2. अनिल कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व0 मुन्ना विश्वकर्मा निवासी बड़ी खजुरीहा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

ट्रैक्टर न0 UP96R5852 स्वराज 735FE नीला रंग मय रोटा वेटर

गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक/समय-

ट्रैक्टर मोहरवा पुल के पास रोड के किनारे,30.07.025,08.50 बजे

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 29.07.025 को वादी अपसार उर्फ गुवुल खाँ पुत्र मुस्तफा खाँ निवासी सोतापुरवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर पर सूचना दी गयी कि दिनाँक 27.07.025 को वह जुताई करने के बाद अपना ट्रैक्टर राजबहादुर यादव की दूध डेयरी खटवारा में खड़ा करके चला गया था अगले दिन सुबह के समय आकर देखा तो ट्रैक्टर गायब था जिसे अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 184/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा चोरी की घटना का शीघ्र अनावरण हेतु थानाध्यक्ष राजापुर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थानाधयक्ष राजापुर द्वारा टीम गठित कर उ0नि0 श्री इमरान खान थाना राजापुर व उनकी टीम को चोरी की घटना के शीघ्र अनावरण हेतु लगाया गया।

आज दिनाँक 30.07.025 को उ0नि0 व उनकी टीम द्वारा मुखबिरखास की सूचना पर मोहरवा पुल के 100 मीटर पहले बबूल के झाड़ी से ट्रैक्टर निकाल कर रोड़ पर लेकर आ रहे दो व्यक्तियों को एक वारगी दबिस देकर मोहरवा पुल के टूटे हुए रोड के पास मय चोरी के ट्रैक्टर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियो से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम कल्लू रैदास पुत्र लोटन रैदास निवासी चिल्ली राकस थाना राजापुर जिला चित्रकूट तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अनिल कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व0 मुन्ना विश्वकर्मा नि0 बड़ी खजुरीहा थाना रैपुरा जिला चित्रकूट बताया तथा ट्रैक्टर का कागजात मागते हुए उसके बारे में पूछताछ किया गया तो दोनो व्यक्ति एक सुर में बताये की साहब ये ट्रैक्टर हम लोग की नहीं है। हम लोगों के पास कोई कागजात नहीं है। इस ट्रैक्टर को हम लोग दिनांक 27.07.025 को रात में राजबहादुर यादव की दूध डेयरी के पास ग्राम खटवारा से चुराये थे जिसे लाकर यहां बबुल के झाड़ी में छिपा दिये थे आज हम लोग इसे स्टार्ट कर किसी को बेचने के लिए लेकर जा रहे थे कि आप लोग पकड़ लिये। ट्रैक्टर को देखा गया तो ट्रैक्टर स्वराज नीला रंग जिसमें दोनो तरफ दो चैन लगा है तथा पीछे रोटा वेटर लगा है ट्रैक्टर के बारे में पता किया गया तो उक्त ट्रैक्टर के सम्बन्ध में थाना हाजा में मु0अ0सं0 184/25 धारा 303(2) BNS पंजीकृत है उक्त बरामद ट्रैक्टर की पहचान के लिए वादी मुकदमा से जरिए दूरभाष वार्ता कर मौके पर बुलाया गया तो वादी मुकदमा अपने ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन की कापी व इन्सोरेंस की छाया प्रति लेकर मौके पर आकर पहचान किया। मुकदमा उपरोक्त के माल मशरूका की वरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में उपरोक्त दोनो पकड़े गये व्यक्तियो की नामजदगी प्रकाश में लायी जाती है तथा बरामदगी क आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की बढ़ोत्तरी की जाती है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 इमरान खान थाना राजापुर
2. का0 प्रकाश मिश्रा
3. का0 लवकुश यादव
4. का0 शुभम मिश्रा
5. का0 अजय मिश्रा

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कर्वी व थाना मानिकपुर पुलिस टीम ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(1). उ0नि0 श्री कैलाश नाथ व आरक्षी विपिन कुमार द्वारा मु0अ0स0 संख्या 656/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त लवलेश पुत्र सुदामा निवासी ग्राम बिहारा चौकी शिवरामपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2).उ0नि0 श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय व आरक्षी अजीजुद्दीन द्वारा मु0नं0 193/25 धारा 135 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त राहुल पुत्र राजकुमार साहू निवासी गुरौला थाना मानिकपुर जनपगद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). आज दिनाँक 30.07.2025 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी.एन. एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री आदित्यनाथ योगी जी के गोस्वामी तुलसीदास जन्मस्थली राजापुर आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारी/कर्मचारीगण की तहसील परिसर राजापुर में ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से अवगत कराते हुए सतर्कता पूर्वक ड्यूटी का निर्वहन करने हेतु बताया गया तथा संवेदनशील स्थानों पर ड्यूटी करने वाले अधिकारियों/कर्मचारीगण विशेष ध्यान देने हेतु बताया गया।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के लिए 04 अपर पुलिस अधीक्षक, 19 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 27 थानाध्यक्ष,67 निरीक्षक, 239 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 35 महिला उप निरीक्षक, 930 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल, 118 महिला आरक्षी, 52 यातायात आरक्षी/मुख्य आरक्षी/उपनिरीक्षक, 37 एलआईयू मुख्य आरक्षी/आरक्षी/उपनिरीक्षक, 04 पीएससी कंपनी की डियूटी लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनायें।

इस दौरान अपर जिला अधिकारी वित एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद,क्षेत्राधिकारी यातायात श्री फहद अली तथा बाह्य जनपद के आये समस्त अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी अनुपमा तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अबरार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) जनपद चित्रकूट श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 30.07.2025 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 137/2018 धारा 279,337 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रज्जन पाल पुत्र शंकर पाल निवासी गडरियन पुरवा मजरा रौली कल्याणपुर कर्वी चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(8). आज दिनांक 30.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी के गोस्वामी तुलसीदास जन्मस्थली राजापुर में आगमन के दृष्टिगत कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु कस्बा राजापुर,तुलसी घाट,वशिष्ठ गुरुकुलम विद्यालय के आस पास,लूप लाइन चौराहा ,तुलसी रिसोर्ट, गनीवा फार्म हाउस, दीन दयाल शोध संस्थान सहित विभिन्न स्थानों के आस पास भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी।

(9).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित वारंटी अभियुक्तो को विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री शिवआसरे व उनकी टीम द्वारा नाबालिक के साथ जबरजस्ती दुष्कर्म करने के वांछित आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि थाना बरगढ़ अन्तर्गत ग्राम निवासी द्वारा थाना बरगढ़ में पर सूचना दी कि उनकी नाबालिक पुत्री को गुलाबचन्द्र कोल पुत्र बरुहा उर्फ रामसजीवन निवासी शिवगंज का पुरवा मजरा रैपुरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट गाली गलौच एवं जान से मारने की धमकी देते हुये जबरजस्ती दुष्कर्म करना एवं वादिया को गाली गलौज एवं मारने की धमकी दी गयी। इस सम्बन्ध में बरगढ़ में दिनांक 23.07.2025 को मु0अ0सं0 62/25 धारा 65(1),352,351(3) बीएनएस व 4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। आज दिनाँक 30.07.2025 को अभियुक्त गुलाबचन्द्र कोल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे

2.आरक्षी पीयूष सरन

3.आरक्षी चालक उमेश कुमार

(10).अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज श्री संजीव गुप्ता की अध्यक्षता में व मंडला आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा श्री अजीत कुमार, पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस, जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जीएन, पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिस छेत्राधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद भ्रमण को लेकर मीटिंग तहसील सभागार राजापुर में संपन्न हुई। अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज ने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिसको जिस सेक्टर में कार्य दिया गया है उसे दृढ़ता पूर्वक अपने अधिनस्थ से समन्वय बनाकर करें किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए।

तत्पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज श्री संजीव गुप्ता, मंडला आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा श्री अजीत कुमार, पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस, जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जीएन, पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने जनपद चित्रकूट में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रमण को देखते हुए हेलीपैड, तुलसी जन्म कुटीर, तुलसी रिसॉर्ट की व्यवस्थाओं का जायजा लिए। अपर पुलिस महानिदेशक ने संबंधित स्थल पर लगे ड्यूटी कर्मियों को भी निर्देशित किया की अपनी स्थल पर दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि जिनको जो ड्यूटी स्थल दिया गया है वहां पर सक्रियता के साथ ड्यूटी करें।